विवरणिका
(Prospectus)
2025-26

शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, सूरजपुर (छ.ग.)

संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.) से सम्बद्धता प्राप्त
Email – govt.ngc.surajpur@gmail.com
Website – www. ggcsurajpur.ac.in

प्रकाशक
प्राचार्य, शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, सूरजपुर (छ.ग.)

विद्यार्थियों को वैध परिचय पत्र सदैव महाविद्यालय में लेकर आना होगा। समय–समय पर आकस्मिक जांच के दौरान प्रवेश पत्र/परिचय पत्र न रखने वाले विद्यार्थियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

रैगिंग दण्डनीय अपराध है, रैगिंग पर लिप्त पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

अनुक्रमणिका (Index)

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्र.
1	प्राचार्य संदेश	3
2	महाविद्यालय – एक दृष्टि में	4
3	महाविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम	5–6
4	प्रवेश संबंधी नियम	7–10
5	शुल्क विवरण	11
6	छात्रवृत्ति संबंधी विवरण	12
7	महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधन	13
8	पाठ्येत्तर गतिविधियां	14–15
9	छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता	16–17
10	महाविद्यालय से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु सम्पर्क सूत्र एवं सम्पर्क स्थल का विवरण	18
11	महाविद्यालय में कार्यरत् प्राध्यापक, कर्मचारियों का विवरण	19

प्राचार्य संदेश

प्रिय विद्यार्थियों,

उच्च शिक्षा के प्रमुख संस्थाओं में से एक शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, सूरजपुर में आपका स्वागत है। हम अत्यंत गौरवान्वित हैं कि वर्ष 2021 से नवस्थापित इस महाविद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में अल्पावधि में ही विशिष्ट प्रतिष्ठा बनायी है। हमारा उद्देश्य ऐसे युवा मस्तिष्क को तैयार करना है जो अपने वातावरण के साथ तालमेल बिठाकर सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशील, अनुशासित एवं किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को समान रूप से विकसित करने की भावना को दर्शाता है। हमारा महाविद्यालय विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास में सहायक है, जिससे विद्यार्थी बदलते हुए परिदृश्य और चुनौतियों को हल करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। शिक्षा के साथ–साथ महाविद्यालय की जीवंत समितियों द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है, जिससे विद्यार्थियों की प्रतिभा और नेतृत्व गुणों का विस्तार हो सके। महाविद्यालय का प्राध्यापक वर्ग अत्यंत कर्मठ, सुयोग्य, अनुभवी एवं छात्र हितैषी है। नित प्रतिदिन नवाचार और प्रौद्योगिकी के साथ अध्ययन–अध्यापन कार्य निष्ठापूर्वक संचालित किया जाता है एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा हेतु समुचित मार्गदर्शन किया जाता है।

मुझे विश्वास है कि हमारे विद्यार्थी भविष्य में प्रबुद्ध, देशभक्त, सभ्य नागरिक बनकर मानव जीवन को सफल बनायेंगे, यही हमारी शुभकामना है।

(बृजलाल साहू)

महाविद्यालय – एक दृष्टि में

- स्थापना वर्ष – 2021, शासकीय कन्या उ.मा. विद्यालय, सूरजपुर
- क्ला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकायों में अध्यापन की सुविधा।
- सत्र 2024–25 से स्नातक स्तर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू (सेमेस्टर पद्धति से)।
- गहन शोध, अध्ययन–अध्यापन से जुड़े प्राध्यापक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध, सेमीनार /संगोष्ठी में सहभागिता, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में लेखक।
- खेलकूद, एनएसएस एवं यूथ रेडक्रास सोसायटी, सांस्कृतिक समारोह के क्षेत्र में अग्रणी महाविद्यालय/संभाग/राज्य स्तरीय आयोजनों में महत्वपूर्ण भागीदारी।
- विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु महाविद्यालय में नियमित रूप से स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल, कम्प्यूटर शिक्षा, व्यक्तित्व विकास, प्रोजेक्ट, सेमीनार, वर्कशॉप, ट्रेनिंग, पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रतियोगिताओं का आयोजन।
- महाविद्यालय में गणित विभाग द्वारा प्रतिवर्ष अंतर महाविद्यालयीन मेथमेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन।
- आर्थिक रूप से कमजोर एवं प्रतिभावान छात्राओं की सहायता हेतु महाविद्यालय के नियमित प्राध्यापकों द्वारा स्वयं सेवी संस्था ''**सहयोग**'' का गठन।
- आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत कमजोर, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्राओं तथा प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त छात्राओं हेतु विभिन्न शासकीय छात्रवृत्तियों की सुविधा।
- स्मार्ट क्लास रूम की सुविधा, प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षण।
- छात्राओं को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु महाविद्यालय में ''कैरियर एवं प्लेसमेंट सेल की स्थापना'' ।
- छात्राओं को मार्गदर्शन देने हेतु महाविद्यालय में ''**हेल्प डेस्क**'' की स्थापना।
- महाविद्यालय में नवप्रवेशित छात्राओं को महाविद्यालय से संबंधित जानकारी प्रदान करने हेतु प्रतिवर्ष ''**इंडक्शन प्रोग्राम**'' का आयोजन।
- महाविद्यालय परिसर में ''**शिकायत एवं सुझाव पेटी**'' की सुविधा।
- पूर्णतः **वाई–फाई युक्त** कैम्पस।?
- सुविधायुक्त ग्रंथालय–वाचनालय की सुविधा।

महाविद्यालय में उपलब्ध पाठयक्रम

कला संकाय

- बी.ए. प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष (**NEP** सेमेस्टर प्रणाली के अनुसार)
- बी.ए. तृतीय वर्ष के लिए

1. अनिवार्य विषय –

(अ) आधार पाठयक्रम – हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा

2. वैकल्पिक विषय –

1. हिन्दी साहित्य अथवा अंग्रेजी साहित्य 2. राजनीति विज्ञान 3. समाजशास्त्र 4. भूगोल

नोट – छात्र / छात्राओं को उपरोक्त में से किन्ही तीन वैकल्पिक विषयों का अध्ययन करना होगा।

विज्ञान संकाय

- बी.एस.सी. (जीव विज्ञान एवं गणित समूह) प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष (**NEP** सेमेस्टर प्रणाली के अनुसार)
- बी.एस.सी. (जीव विज्ञान समूह) तृतीय वर्ष के लिए

1. अनिवार्य विषय –

(अ) आधार पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा

2. कोर विषय –

1. वनस्पति शास्त्र. 2. जन्तुविज्ञान 3. रसायनशास्त्र

- बी.एस.सी. (गणित समूह) तृतीय वर्ष के लिए

1. अनिवार्य विषय –

(अ) आधार पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा

2. कोर विषय –

1. गणित 2. भौतिक शास्त्र 3. रसायन शास्त्र

वाणिज्य संकाय

- बी.कॉम. प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष (**NEP** सेमेस्टर प्रणाली के अनुसार)

- बी.कॉम. तृतीय वर्ष

1. आधार पाठ्यक्रम – (अ) हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा

2. प्रबंधकीय लेखांकन.. 3. आयकर 4. अप्रत्यक्ष कर. 5. अंकेक्षण

5. वैकल्पिक समूह– अ. वित्तीय ग्रुप ब. विपणन ग्रुप स. सूचना प्रौद्योगिकी ग्रुप

महाविद्यालय में कक्षावार उपलब्ध सीटों की संख्या

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	उपलब्ध सीटों का विवरण	कुल सीट
1	बी.ए. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष	90+90+90	270
2	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष (जीवविज्ञान समूह)	45+45+45	135
3	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष (गणित समूह)	45+45+45	135
4	बी. कॉम प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष	90+90+90	270

<u>प्रवेश संबंधी नियम</u>

प्रवेश तिथि –

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रवेश मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक योग्य आवेदक को महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता है। नवीन प्रवेश हेतु न्यूनतम निर्धारित अंकों से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को निर्धारित तिथि तक प्रावीण्यता के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा। स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष की कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर ही स्वाध्यायी या बाहय विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

शैक्षणिक सत्र 01 जुलाई 2024 से आरंभ होगा। प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु 01 जून से ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रवेश देने में सक्षम होगें।

प्रवेश नियम (Admission Rules)–

1. यदि छात्रा एक संकाय छोड़कर दूसरे संकाय में प्रवेश चाहे तो उसका गुणानुक्रम प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत काटकर निर्धारित किया जायेगा।
2. छात्रा अपनी उपाधि के लिए जो विषय लेना चाहते हैं उसका चयन सावधानी से करें। विषय परिवर्तन प्राचार्य की अनुमति के बिना नहीं होगा तथा निर्धारित अवधि के पश्चात कोईं भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।
3. प्रवेश योग्यता के आधार पर ही दिया जायेगा।
4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के क्रमशः 12 प्रतिशत तथा 32 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगें। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगें। विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आधार पर भी आरक्षण होगा। आरक्षित स्थानों के लिए प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम अंको में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी । पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के आवेदकों के लिए 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं।
5. प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना घर पर नहीं भेजी जायेगी, प्रवेश–सूचना महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी। छात्राएं महाविद्यालय के सूचना पटल का नियमित अवलोकन करते रहें। यह सूचना महाविद्यालय के वेबसाईट www.ggcsurajpur.ac.in पर भी उपलब्ध रहेगी।
6. प्रवेश सूची जारी होने के सात दिनों के अन्दर शुल्क जमा कर प्रवेश लेना होगा।
7. प्रवेश संबंधी अंतिम निर्णय प्राचार्य का होगा जो बाध्यकारी होगा ।

प्रवेश पात्रता –

विश्वविद्यालय अधिनियम 8 के अनुसार निम्नलिखित छात्र/छात्राएं प्रवेश पा सकेगें –

1. बी.ए., बी.कॉम., एवं बी.एससी. प्रथम सेमेस्टर –

(क) छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर/सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं/हायर सेकेन्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

2. बी.ए., बी.कॉम., एवं बी.एससी. तृतीय सेमेस्टर –

(क) बी.ए., बी.कॉम., एवं बी.एससी. प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण हो। अथवा
(ख) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

3. बी.ए., बी.कॉम., एवं बी.एससी. तृतीय वर्ष –

(क) बी.ए., बी.कॉम., एवं बीएस.सी. द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण हो। अथवा
(ख) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

विश्वविद्यालय नामांकन– (नवप्रवेशी छात्राओं हेतु अनिवार्य)

1. प्रत्येक नव प्रवेशित छात्र/छात्रा को संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) से नामांकन कराना अनिवार्य है। नामांकन फार्म निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें।
2. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल अथवा संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) को छोड़कर अन्य बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से आने वाले छात्र/छात्राओं को प्रवजन (Migration) प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
3. महाविद्यालय में छात्र/छात्रा को दिया गया प्रवेश, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) द्वारा मान्य न होने तक अस्थाई रहेगा। अर्हता के संबंध में अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।

प्रवेश आवेदन पत्र –

1. समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑनलाईन पद्धति से होगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी संलग्न दस्तावेजों सहित निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय के कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

विशेष – निम्नलिखित प्रमाण पत्रों का आवेदन पत्र के साथ होना अनिवार्य है –

1. विद्यार्थी की पिछली संस्था का मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (Original T.C.)।
2. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा। प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में निकटतम पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाए। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी को वचन पत्र देना होगा।
3. पिछली कक्षा की अंक सूची की सत्य प्रतिलिपि मूल अंक सूची के साथ आवश्यक रूप से जांच हेतु प्रस्तुत करें। मूल अंक सूची छात्र को तुरन्त वापस कर दी जायेगी।
4. प्रवजन प्रमाण पत्र (माईग्रेशन सर्टिफिकेट) (उन विद्यार्थी के लिए है जो संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) या छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संबंधित किसी भी संस्था का विद्यार्थी न रहा हो) ।
5. पिछली कक्षा का प्राचार्य द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
6. जो विद्यार्थी स्वाध्यायी (Privates) परीक्षार्थी के रूप में पिछली परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो, उसे किन्हीं दो सम्मानित व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।
7. माता/पिता/पालक का आय प्रमाण पत्र (मूल प्रमाण पत्र) संलग्न करें।
8. यदि विद्यार्थी किसी वर्ष परीक्षा में नहीं बैठा या अनुत्तीर्ण हुआ हो तो ऐसे गत वर्षो की परीक्षा संबंधी जानकारी (शपथ पत्र) प्रवेश पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
9. जिन विद्यार्थी ने गत परीक्षा संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) अथवा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल/सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली के अलावा अन्य किसी बोर्ड/ वि0वि0 से उत्तीर्ण की हो उन्हें संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) से प्रवेश संबंधी पात्रता प्रमाण–पत्र महाविद्यालय–प्रवेश–आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
10. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विद्यार्थी को विभिन्न सुविधाओं हेतु एवं छात्रवृत्तियों के लिए भी निम्नानुसार प्रमाण पत्र लगाने होंगे –
    (1) जाति प्रमाण–पत्र
    (2) आय प्रमाण–पत्र
    (3) निवास प्रमाण–पत्र

ये प्रमाण पत्र तहसीलदार अथवा सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जायें।

11. शासकीय नियमों के विरूद्ध प्रवेश हेतु अवांछित दबाव डालने की स्थिति में उच्चाधिकारियों को सूचित किया जावेगा तथा प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

12. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित या स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।

13. प्राचार्य को पूर्ण अधिकार है कि वे किसी विद्यार्थी का नाम महाविद्यालय की सूची से काट दें यदि,

- छात्रा महाविद्यालय का प्रवेश–शुल्क निर्धारित तिथि के अन्दर जमा नहीं करती है ।
- छात्रा महाविद्यालय की आन्तरिक मूल्यांकन परीक्षा में लगातार अनुपस्थित रहती है।
- छात्रा का व्यवहार प्राचार्य की दृष्टि से असंतोषजनक हो।
- छात्रा किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता करती है।
- छात्रा रैगिंग करती है ।
- अन्य किसी भी विशेष कारणो से जनहित में।

14. शासकीय आदेशानुसार यदि कोई छात्रा लगातार 1 महीने से अधिक बिना सूचना के महाविद्यालय में अनुपस्थित रहती है तो उसका नाम महाविद्यालय से बिना सूचना के काट दिया जायेगा।

शुल्क संबंधी नियम –

1. विद्यार्थी निर्धारित बैंक में अथवा महाविद्यालय की विद्यार्थी शाखा में फीस जमा करें।
2. प्रत्येक फीस तथा जमा की गयी राशि के लिए छात्रा उसी समय रसीद प्राप्त करें। यदि रसीद मिलने में कोई कठिनाई हो तो तुरन्त प्राचार्य को सूचित करें। रसीद नहीं लेने तथा उसी समय प्राप्त न करने की जिम्मेदारी स्वयं छात्रा की होगी।
3. शुल्क की राशि शासन के निर्देशानुसार परिवर्तनीय है। परिवर्तन संबंधी सभी आदेश अनिवार्य रूप से मानने होगें।
4. विद्यार्थी सहायता निधि से सहायता हेतु विद्यार्थी निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। निर्धारित प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त करें। एक विद्यार्थी को एक ही प्रकार की छात्रवृत्ति या सहायता राशि मिलेगी।
5. नामांकन शुल्क, नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं के अलावा उन विद्यार्थियों के लिए देय है, जो अन्य बोर्ड अथवा अन्य विश्वविद्यालय से स्थानान्तरित होकर संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) में नामांकित होना चाहता है।
6. समस्त शुल्क आवश्यक रूप से छात्रा द्वारा ही भरा जाना चाहिए

—: शुल्क विवरण 2025—26 :—

_			सेमेस्टर हेतु						अंतिम वर्ष हेतु		
क्र.	शुल्क विवरण	मद	B.A. & B.Com I,II Sem.	B.A. & B.Com III,IV Sem.	B.A. - I,II Geography Sem.	B.A. - III ,IV Geography Sem.	B.Sc. I,II Sem.	B.Sc. III ,IV Sem.	B.A.& Com III Year	B.A. III Geo.	B.Sc. III Year
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	स्टेशनरी शुल्क	Govt.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	प्रवेश शुल्क	Govt.	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	प्रायोगिक शुल्क	Govt.	-	-	20	20	20	20	-	20	20
Total :-			**8**	**8**	**28**	**28**	**28**	**28**	**8**	**28**	**28**
4	अवधान राशि	Pd	60	0	60	0	100	0	0	0	0
5	महाविद्यालय पंजीयन	Pd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	परिचय पत्र (महावि.)	Pd	50	50	50	50	50	50	50	50	50
7	सायकल स्टैण्ड शुल्क	Pd	120	120	120	120	120	120	120	120	120
8	आन्तरिक मूल्याकंन शुल्क	Pd	150	150	150	150	150	150	150	150	150
9	ग्रंथालय परिचय शुल्क	Pd	50	50	50	50	50	50	50	50	50
10	महाविद्यालय छात्रसंघ शुल्क	Pd	50	50	50	50	50	50	50	50	50
11	चिकित्सा शुल्क	Pd	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12	शारीरिक कल्याण शुल्क	Pd	300	300	300	300	300	300	300	300	300
13	वि.वि.पुस्तकालय शुल्क	Pd	30	30	30	30	30	30	30	30	30
14	युवा गतिविधि शुल्क	Pd	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15	जनभागीदारी शुल्क	Pd	500	500	500	500	500	500	500	500	500
16	रेडक्रास शुल्क.	Pd	40	40	40	40	40	40	40	40	40
17	निर्धन छात्र निधि.	Pd	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Total :-			**1373**	**1313**	**1373**	**1313**	**1413**	**1313**	**1313**	**1313**	**1313**
17	महाविद्यालय विकास शुल्क	AF	105	105	105	105	105	105	105	105	105
18	कामन रूम/वाचनालय	AF	30	30	30	30	30	30	30	30	30
19	क्रीडा शुल्क.	AF	22	22	22	22	22	22	22	22	22
20	सम्मिलित निधि शुल्क	AF	17	17	17	17	17	17	17	17	17
21	स्नेह सम्मेलन शुल्क	AF	105	105	105	105	105	105	105	105	105
22	छात्र कल्याण शुल्क	AF	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Total :-			**299**	**299**	**299**	**299**	**299**	**299**	**299**	**299**	**299**
Total (Pd+AF) :-			**1672**	**1612**	**1672**	**1612**	**1712**	**1612**	**1612**	**1612**	**1612**
Grand Total :-			**1680**	**1620**	**1700**	**1640**	**1740**	**1640**	**1620**	**1640**	**1640**

छात्रवृत्तियां –

महाविद्यालय में सभी प्रकार की छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं, जो प्रत्येक सत्र में देय होगी।

1. अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को नियमानुसार मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
2. बी.पी.एल. कार्डधारी बच्चों को नियमानुसार बी.पी.एल. छात्रवृत्ति की पात्रता होगी। (मैट्रिकोत्तर एवं बी.पी.एल. छात्रवृत्ति में से किसी एक ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी)
3. छ.ग. शासन के निर्देशानुसार विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
4. योग्य निर्धन विद्यार्थी को वित्तीय सहायता व शुल्क में छूट छात्र सहायता निधि से प्रदान की जाती है।

छात्रवृत्ति के संबंध में विशेष जानकारी

1. छात्रवृत्तियों का विस्तृत विवरण छात्रवृत्ति मार्गदर्शिका में देखें जो कि महाविद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध है। विद्याथी उसे पूरा पढ़ें व तदनुसार आवेदन समायावधि में कार्यालय में जमा करें।
2. छात्रवृत्ति नियमों, पात्रता, आधार संबंधी शर्तों, वार्षिक दर आदि में शासन के निर्णयानुसार कभी भी परिवर्तन व संशोधन हो सकता है जो कि महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाया जावेगा जिसे देखने का दायित्व स्वयं विद्यार्थी का होगा।
3. महाविद्यालय के सूचना पटल पर घोषित अंतिम तिथि के भीतर छात्रवृत्ति आवेदन पत्र नहीं देने पर आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जायेगा।
4. छात्रवृत्ति संबंधी सूचनाएँ समय–समय पर नोटिस बोर्ड पर देखना विद्यार्थी का स्वयं का दायित्व है।
5. अपूर्ण या गलत अथवा अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेगें।
6. आवेदन पत्र लेकर उसे समय पर कार्यालय में विद्यार्थी स्वयं अपनी जिम्मेदारी से जमा करें।
7. पात्रता होने पर भी यदि कोई विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो इनसे वंचित रह जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी।
8. छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु विद्यार्थी को कार्यालय से प्रपत्र लेकर अगस्त माह में आवेदन करना होगा अन्यथा चालू वर्ष में छात्रवृत्ति मिलना बंद हो जायेगी, जिसका दायित्व पूरी तरह विद्यार्थी का होगा।
9. बारहवीं परीक्षा पास छात्र के लिए नवीन छात्रवृत्ति हेतु पात्रता का आधार बारहवीं परीक्षा के अंक होंगें।
10. गलत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपराध है इस पर शासन द्वारा किसी भी समय जांच की जा सकती है।
11. शासन के नियमानुसार जिन छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति के नियमानुसार उनकी नियमित उपस्थिति अनिवार्य है। इस प्रकार यदि कक्षाओं में उनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रहे तथा परीक्षाओं में बैठने की पात्रता विश्वविद्यालयीन नियम के अन्तर्गत भले ही हो लेकिन शासकीय नियमों के अन्तर्गत उनकी छात्रवृत्ति आनुपातिक रूप से काट ली जायेगी।

टीप :– महाविद्यालयीन विद्यार्थी जिन्हें कोई भी छात्रवृत्ति मिलती है, यदि हड़ताल आदि में भाग लेते है, तो ऐसे कदाचरण के कारण उनकी छात्रवृत्ति प्रभावित होगी।

<u>महाविद्यालय में छात्राओं हेतु उपलब्ध संसाधन</u>

1. व्याख्यान कक्ष
2. भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणिशास्त्र एवं भूगोल की प्रयोगशालाएं
3. ग्रंथालय (ई–लायब्रेरी)
4. इंडोर एवं आउटडोर खेलों की सुविधा
5. गर्ल्स कॉमन रूम
6. कैरियर काउंसलिंग एण्ड प्लेसमेंट सेल
7. महाविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट
8. वाई–फाई युक्त कैम्पस
9. डिजिटल क्लास रूम
10. ऑनलाईन कोर्सेस **N PTEL, SWAYAM, MOOC**
11. **LAN Connectivity**

पाठ्येत्तर गतिविधियां

छात्राओं के समग्र विकास के लिए महाविद्यालय में नियमित रूप से निम्नलिखित पाठ्येत्तर गतिविधियों का संचालन किया जाता है। अकादमिक कैलेण्डर में विभिन्न आयोजनों की समय सारिणी का अवलोकन किया जा सकता है :–

1. **इंडक्शन कार्यक्रम** – महाविद्यालय में नवप्रवेशित छात्राओं को संस्था से संबंधित समस्त जानकारी प्रदान करने हेतु अगस्त माह में इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।

2. **क्रीड़ा** – क्रीड़ा समिति खेल गतिविधियों का संचालन करती है। महाविद्यालय में खेल प्रशिक्षण हेतु क्रीड़ा अधिकारी द्वारा निम्नलिखित खेलों का प्रशिक्षण व संचालन किया जाता है –

(क) आउटडोर :–	1. क्रिकेट	2. फूटबॉल	3. बास्केटबॉल	4. हैण्डबॉल
	5. वॉलीबॉल	6. नेट बॉल	7. कबड्डी	8. खो–खो
(क) इनडोर :–	1. टेबल टेनिस	2. बैडमिंटन	3. शतरंज	4. कैरम

3. **राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)** – छात्राओं को रचनात्मक समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास व जनकल्याणकारी कार्यों के ध्येय से स्थापित एन.एस.एस. की इकाई कार्यरत है। सामाजिक जागरूकता, स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता, पौधरोपण व ग्राम सेवा जैसे समाज सेवा के कार्यों द्वारा छात्राएं अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर महाविद्यालय के लिए यश अर्जित करते हैं।

4. **व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम** – महाविद्यालय के छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु प्रत्येक प्रमुख दिवस के अवसर पर महाविद्यालय सभागार में तात्कालिक भाषण, क्विज, पोस्टर/ स्लोगन, निबंध आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। समय–समय पर विषय विशेषज्ञों द्वारा सामान्य ज्ञान, व्यक्तित्व विकास, इंटरव्यू कम्यूनिकेशन स्किल, योग, नागरिक सुरक्षा आदि से संबंधित वर्कशॉप/सेमीनार आयोजित किये जाते हैं। महाविद्यालय के सूचना पटल पर आयोजन संबंधी जानकारियां उपलब्ध होती हैं। इन कार्यक्रमों से महाविद्यालय का शैक्षणिक वातावरण रोचक व उत्साहवर्धक बना रहता है तथा छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी मे सहायता मिलती है।

5. **स्टडी सर्कल** – छात्राओं में पठन–पाठन में रूचि जागृत करने, सामान्य ज्ञान बढ़ाने तथा देश–विदेश, अर्थव्यवस्था, राजनीति व विज्ञान के नित नवीन परिवर्तन से अवगत कराने हेतु महाविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा व्याख्यान, सेमीनार, वर्कशॉप, समर कोर्स, ओलंपियाड, संगोष्ठी एवं शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किये जाते हैं।

6. **कैरियर काउंसलिंग एण्ड प्लेसमेंट सेल** – महाविद्यालय का प्लेसमेंट सेल जिला स्तरीय औद्योगिक संस्थानों तथा जिला स्वरोजगार एवं मार्गदर्शन केन्द्र के माध्यम से छात्राओं को रोजगार हेतु आवश्यक जानकारियां एवं सहयोग प्रदान किया जाता है।

7. **युवा उत्सव** – साहितयिक व सांस्कृतिक गतिविधियों में रूचि रखने वाली छात्राओं के लिए चित्रकला, गीत, नृत्य, नाटक, एकल अभिनय, काव्य पाठ, निबंध लेखन, आदि प्रतियोगिताएं जनवरी माह में आयोजित की जाती है।

8. **यूथ रेडक्रास सोसायटी एवं रेड रिबन क्लब** – छात्राओं में मानव सेवा का भाव जागृत करने हेतु महाविद्यालय में यूथ रेडक्रास सोसायटी की इकाई संचालित है। इसकी गतिविधियों में रक्तदान शिविर, एच.आई.व्ही. के प्रति सतर्कता छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण, ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान आयोजित करना प्रमुख है।

9. **हेल्प डेस्क** – महाविद्यालय में अध्ययनरत् छात्राओं को विभिन्न विषय से संबंधित शंकाओं के समाधान हेतु महाविद्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है।

10. **योगा, जिम एवं मेडिटेशन की सुविधाये उपलब्ध हैं।**

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता

सामान्य नियम :–

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा –

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेंगे। किसी भी स्थिति में उनकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिए।
2. विद्यार्थी महाविद्यालय परिसर में सहपाठियों, शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ शालीन व्यवहार करेंगे। अभद्र व्यवहार/असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली–गलौज, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है।
3. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन वर्जित रहेगा।
4. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ रखना विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है। महाविद्यालय में इधर – उधर थूकना, दीवालों को गन्दा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है।
5. विद्यार्थी के असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर, व्यसन करने, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन, आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। गुरूजनों के समक्ष शांतिपूर्ण ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी कठिनाई रखी जा सकती है।
6. विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेंगे तथा अपनी माँगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेंगे।
7. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय के पंखें, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग या उपकरणों की तोड़–फोड़ या अस्वच्छता फैलाने को दण्डात्मक आचरण माना जाएगा।
8. विद्यार्थी ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेंगे, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
9. महाविद्यालय परिसर में कक्षाओं के दौरान मोबाईल का अवांछनीय प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।
10. महाविद्यालय में प्रवेश द्वार के अंदर अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है।
11. कक्षाओं में अध्यापन के समय बरामदों व महाविद्यालय परिसर में घूमना, अध्ययन–अध्यापन में किसी तरह की बाधा पहुँचाना सख्त मना है।
12. विद्यार्थियों के क्रियाकलापों के संबंध में उनके पालकों को बुलाया अथवा सूचित किया जायेगा।
13. अनुशासन तथा नियम भंग करने के दोषी छात्रा दंड के भागी होंगे। अर्थदण्ड, कक्षा से निष्कासन अथवा अन्य निर्धारित दण्ड दिए जा सकते हैं।
14. महाविद्यालय परिसर में बाहरी व्यक्तियों को बिना पूर्व अनुमति के घूमना सख्त मना है।
15. महाविद्यालय आचरण संहिता के विरूद्ध कोई भी गतिविधि करने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
16. किसी भी विवाद की स्थिति में प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र :–

1. यदि विद्यार्थी किसी अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि विद्यार्थी रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर पांच साल के कारावास की सजा या पांच हजार रूपये के जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी किसी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी समय से शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और वह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग/प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम 2001

रैगिंग के अन्तर्गत :– कोलाहल पूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिढ़ाना, भद्दा या अशिष्ट आचरण करना, उपद्रवी एवं अनुशासनहीन क्रियाकलापों में संलग्न होना, जिससे नये छात्राओं को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी, शारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो, अथवा उसमें आशंका या भय बढ़ाने वाला हो अथवा छात्राओं को ऐसे कार्य करने के लिए कहना, जो छात्रा सामान्यतया नहीं कर सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो, अथवा जीवन के लिए खतरा हो।

छत्तीसगढ़ राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के अनुसार रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है– किसी छात्रा को मजाक में अन्य किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित करना या बाध्य करना, जो मानव मर्यादा के खिलाफ हो या जो उसके व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे यह हास्यास्पद हो जाये या डरा धमका कर गलत ढंग से रोक कर, गलत ढंग से बंद करके चोट पहुंचाकर या उस पर अनुचित दबाव डालकर या उसे भय दिखाकर वैधानिक कार्य करने से मना करना।

विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार की गतिविधि को रैगिंग के अंतर्गत माना जायेगा –

- अश्लील प्रश्न पूछने या उनका उत्तर देने के लिए
- सीनियर विद्यार्थियों के क्लास नोट्स उतारने के लिए
- नये विद्यार्थियों को अपने सीधेपन के विपरीत आघात पहुंचाने, अश्लील चित्रों को देखने के लिए
- ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य करना जिससे शारीरिक क्षति, मानसिक पीड़ा या मृत्यु हो सकती है।

शैक्षणिक संस्था का विद्यार्थी प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा। यदि कोई विद्यार्थी इसका उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग के लिए दुष्प्रेरित करता है तो वह 5 वर्ष तक का कारावास या पांच हजार रूपये का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा। दोषी विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जावेगा एवं उसे राज्य के अन्य शैक्षणिक संस्था में तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

महाविद्यालय से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु महत्वपूर्ण मोबाईल नम्बर एवं सम्पर्क स्थल

क्रमांक	कार्य का विवरण	प्रभारी	संपर्क स्थल
1	महाविद्यालय से संबंधित किसी प्रकार के सुझाव, प्रवेश अथवा शिकायत हेतु	प्राचार्य 700030 8092	प्राचार्य कक्ष
2	कार्यालय से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी/असुविधा होने संबंधी	मुख्य लिपिक 91312 57839	कार्यालय
3	छात्रवृत्ति से संबंधित	छात्रवृत्ति प्रभारी 91310 82812	प्राध्यापक कक्ष
4	स्थानांतरण प्रमाण पत्र/चरित्र प्रमाण पत्र से संबंधित	टी.सी. प्रभारी 88304 65231	ग्रंथालय
5	एनएसएस से संबंधित	कार्यक्रम अधिकारी 99813 58890	प्राध्यापक कक्ष
6	यूथ रेडक्रास इकाई एवं रेड रिबन क्लब	यूथ रेडक्रास प्रभारी 99813 58890	प्राध्यापक कक्ष
7	एंटी रैगिंग सेल, अनुशासन से संबंधित प्रकरण	प्रभारी अनुशासन समिति 99813 58890	प्राध्यापक कक्ष
8	कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न संबंधी शिकायत	संयोजक 99813 58890	प्राध्यापक कक्ष
9	ग्रंथालय से संबंधित जानकारी	ग्रंथपाल 88304 65231	ग्रंथालय
10	खेलकूद आयोजनों संबंधी जानकारी	क्रीड़ाधिकारी 93011 71249	प्राध्यापक कक्ष
11	हेल्प डेस्क	संयोजक, हेल्प डेस्क 82349 43974	प्राध्यापक कक्ष
12	आईक्यूएसी	समन्वयक, आईक्यूएसी 98261 90402	भूगोल प्रयोगशाला
13	यूजीसी	संयोजक, यूजीसी सेल 98261 90402	भूगोल प्रयोगशाला
14	कैरियर गाइडेंस/ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेल	संयोजक, प्लेसमेंट सेल 98261 90402	प्राध्यापक कक्ष

शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, सूरजपुर (छ.ग.)
(सत्र 2024–25)

शैक्षणिक स्टॉफ			
क्र.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	विषय
1	श्री बृजलाल साहू	प्राचार्य	हिन्दी
2	श्री संदीप सोनी	सहायक प्राध्यापक	भूगोल
3	श्री दिग्विजय सिंह	सहायक प्राध्यापक	समाजशास्त्र
4	डॉ. विनोद कुमार साहू	सहायक प्राध्यापक	वाणिज्य
5	श्री पुनीत गुप्ता	सहायक प्राध्यापक	राजनीति विज्ञान
6	श्री रोहित सेठ	सहायक प्राध्यापक	भौतिक शास्त्र
7	डॉ. धनंजय पाण्डेय	सहायक प्राध्यापक	वनस्पति शास्त्र
8	सुश्री पूजांजली भगत	सहायक प्राध्यापक	प्राणि शास्त्र
9	नियुक्ति प्रक्रियाधीन	अतिथि व्याख्याता	रसायन शास्त्र
10	सुश्री सुप्रिया सिंघल	अतिथि व्याख्याता	वाणिज्य
11	नियुक्ति प्रक्रियाधीन	अतिथि शिक्षण सहायक	गणित
12	श्री दिवाकर सेठी	अतिथि शिक्षण सहायक	अंग्रेजी
गैर–शैक्षणिक स्टॉफ			
13	श्री सजित खलखो	अतिथि ग्रन्थपाल	–
14	नियुक्ति प्रक्रियाधीन	अतिथि क्रीड़ाधिकारी	–
तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी			
15	श्री टमलेश्वर राजवाड़े	सहायक ग्रेड 02	–
16	श्री उमेश कुजूर	प्रयोगशाला तकनीशियन	–
17	श्री हवल साय	भृत्य	–
18	श्री संतोष यादव	भृत्य	–
19	श्री तेजबली साहू	भृत्य (जनभागीदारी)	–

महाविद्यालय के अविस्मरणीय क्षण